

कार्यालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, नवादा सदर।

:— आदेश :—

मिशन निदेशक-सह-प्रधान सचिव, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार, पटना के पत्रांक 910, दिनांक 02.07.2018 से प्राप्त निदेशानुसार नवादा जिला में कार्यपालक सहायक के पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु पैनल निर्माण की प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में दिनांक 10.01.2019 को प्रकाशित पैनल में से जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 100/स्था, दिनांक 18.02.2020 से उपलब्ध कराये गये निम्नांकित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर अधोलिखित शर्तों के अधीन तीन माह के लिए कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजित किया जाता है—

क्रम सं०	Application ID NO	नाम	पिता का नाम	पत्ता	कोटि
01.	EXA/237003978	विट्ठु विकाश	संजय कुमार पाण्डेय	Vill-Koshiyawan P.o- Koshiyawan P.s- Ekangar Sarai Dist- NALANDA	UR

नियम व शर्तें :-

1. यह चयन तीन माह के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
2. योगदान के समय निम्न हार्डवेयर अनिवार्य रूप से लाना होगा, जिसका उपयोग उन्हें नियोजन कार्यालय में करना पड़ेगा।

A	CPU	Intel core i3
	chipset	intel
	Memory	4 GB (minimum)
	Hard disk	500 GB
	Moniter	14'- led (or higher)
	Operating system	Windows 7(or higher)
	Additional software	Microsoft office 2010 Adobe PDF Reader Internet security(Antivirus) of Renowned company
	Browser	Google Chrome
	Additional Hard ware	Optical Mouse Optical Keybord
B	One Laser Printer	Black&White
C	One UPS	-
D	One Data Card for internet	1Mbps(minimum)

3. योगदान के समय अपना सभी शैक्षणिक मूल प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं एक फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
4. नियोजित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के द्वारा अनुमान्य मानदेय दी जायेगी। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। इसमें लगनेवाली **Consumable items**, पेपर टोनर आदि की आपूर्ति पदस्थापन कार्यालय द्वारा दी जायेगी। इन्टरनेट कनेक्शन का बिल नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा देय होगा।
5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर कार्य में सुधार करने हेतु एक सप्ताह का नोटिश दिया जायेगा। कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर नियोजन रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
6. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित आकस्मिक अवकाश देय होगा।
7. नियोजित अभ्यर्थियों का सरकारी सेवा में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। इस आशय का एकरारनामा नियोजन के समय प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व इनका अवधि विस्तार नहीं होता है, तो उनका नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
9. चयनित अभ्यर्थी नवादा जिला के बेबसाइट पर नियोजन पत्र प्रकाशन के 06/03/2020 तक एकरारनामा के साथ भूमि सुधार उप-समाहर्ता, नवादा सदर (नियोजन कार्यालय) में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उनका नियोजन पत्र रद्द समझा जायेगा।
10. सिविल सर्जन, नवादा के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र योगदान के समय समर्पित करना होगा।

६० -
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
नवादा सदर।

ज्ञापांक...../भू०सु०, दिनांक.....।

प्रतिलिपि :- श्री विट्टु विकाश ,कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है, कि उपर वर्णित निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने पर आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा।

६० -
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
नवादा सदर।

ज्ञापांक 114...../भू०सु०, दिनांक 26/03/2020

प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान एवं प्रावैधिकी पदाधिकारी,(NIC) को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है, कि इस कार्यालय हेतु चयनित कार्यपालक सहायक को अपने स्तर से संसूचित करेंगे।

२६/३/२०२०
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
नवादा सदर।